कार्यालय नगर परिषद, औरंगाबाद।

दिनांक–23.05.2022 को आयोजित दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के (SUSV) घटक के अधीन गठित शहरी फुटपाथ विक्रेता समिति (TVC) की बैठक की कार्यवाही:–

सर्वप्रथम कार्यपालक पदाधिकारी–सह–टाउन वेडिंग कमिटि अध्यक्ष नगर परिषद, औरंगाबाद के द्वारा उपस्थिति सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तथा सभी सदस्यों का परिचय प्राप्त किया गया। बैठक के आरंभ में कार्यपालक पदाधिकारी ने टाउन वेडिंग कमिटि के बारे में बताया तथा विस्तार से चर्चा कि गई:–

प्रस्ताव सं0–1. PMSVANidhi योजना अंतर्गत नगर मिशन प्रबंधक द्वारा बताया गया कि अबतक कुल–714 स्वीकृत ऋण आवेदनों में से कुल–625 आवेदनों का निष्पादन बैंको द्वारा क़र दिया गया है। शेष बचे आवेदन प्रक्रियाधीन है इसी क्रम में जिला अग्रणी बैंक पदाधिकारी श्री उपेन्द्र चर्तुवेदी के द्वारा बताया गया कि विभिन्न बैंको से प्राप्त जानकारी के आधार पर यह प्रतीत हो रहा है कि वेंडरो द्वारा ऋण अदायगी समय पे नहीं की जा रही है जिससे एन0पी0 ए0 की संख्या बढती जा रही है उक्त के आलोक में TVC अध्यक्ष सह कार्यपालक अधिकारी के द्वारा TVC मेंम्बर सह TLF अध्यक्ष एवं सचिव श्री शशी सिंह एवं श्री दिलिप कुमार को फुटकर विक्रेताओं को समय पर ऋण अदायगी हेतु प्रेरित करने की बात कही गयी साथ में यह भी बताया गया की PMSVANidhi योजना सरकार की एक बहुत महत्वकांक्षी योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य फुटकर विक्रेताओं को बैंक से जोडकर व्यवसाय में वृद्धि एवं जीविकोपार्जन में सुधार तथा बढोतरी हो सके।

प्रस्ताव सं0–2. PMSVANidhi योजना अंतर्गत जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक श्री उपेन्द्र चतुर्वेदी द्वारा बैंको द्वारा PMSVANidhi पोर्टल पर लौटाये गए आवेदनों कों Ineligible Mark करने की बात कही गयी। उक्त के आलोक में कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा नगर मिशन प्रबंधक को निर्देशित किया गया कि अपने स्तर से जाँचोपरान्त जो लाभुक ऋण लेने के लिए इच्छुक न हो वैसे लाभुको को Ineligible मार्क किया जाए एवं जो लाभुक ऋण लेने हेतु इच्छुक हैं उनकों वापस Eligible Mark कर दिया जाए एवं बैंको से संपर्क कर ऋण समवितरण कराया जाए।

प्रस्ताव सं0–3. नगर मिशन प्रबंधक द्वारा बताया गया कि बैंको द्वारा 2nd Tranche Loan में रूची नहीं लिया जा रहा है एवं बैंको से सम्पर्क करने के बाद पता चला कि 2nd Tranche Loan की प्रक्रिया की जानकारी पूरे तरीके से नहीं है इस पर नगर मिशन प्रबंधक द्वारा जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक से उनके स्तर से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन करने का निवेदन किया गया जिसमें अग्रणी जिला बैंक प्रबंधक द्वारा सहमती प्रदान की गयी।

प्रस्ताव सं0–4. TLF अध्यक्ष एवं सचिव श्री शशी सिंह एवं श्री दिलिप कुमार के द्वारा PMSVANidhi ऋण से संबंधित सवालों का जवाब अग्रणी जिला बैंक प्रबंधक द्वारा संक्षिप्त रूप में दिया गया एवं उनके द्वारा यह भी बताया गया कि अगर कोई फुटकर विक्रेता PMSVANidhi ऋण से वंचित हो गया है तो वो सीधा नगर परिषद, कार्यालय या बैंको से सीधे संपर्क कर सकते हैं। अगर बैंको द्वारा सहयोग प्रदान नहीं किया जाता है तो लिखित रूप में नगर परिषद कार्यालय या एल0डी0एम0 कार्यालय में दे सकते है।

प्रस्ताव सं0–5. नगर मिशन प्रबंधक द्वारा City Street Vending Plan (CSVP) पर विस्तृत जानकारी दी गई एवं यह बताया गया कि City Street Vending Plan तैयार करने हेतु नगर फुटकर विक्रेता समिति (TVC) के सदस्यों का सहयोग लिया जाना है। इसी क्रम में नगर मिशन प्रबंधक द्वारा विभाग से उपलब्ध कराए गए मॉडल प्लान पर भी चर्चा की गई एवं यह भी बताया गया कि Vending Zone में सभी मूल–भूत सुविधाएं दिए जाने का भी प्रावधान है। जैसे की पेयजल का व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, फुटकर विक्रेताओं के लिए समय–समय पर स्वास्थ्य जाँच की व्यवस्था आदि। इसी क्रम में Addition सिविल सर्जन श्री डॉ किशोर कुमार द्वारा पूर्ण सहयोग दी जाने की बात की गई। Vending Zone बनाने के क्रम में दो बातों का ध्यान रखना अतिआवश्यक है।

1. Zoning of vending area
2. Carrying capacity of the vending

साथ हीं नगर मिशन प्रबंधक द्वारा Street Vendors Act 2014 का हवाला देते हुए यह भी बताया गया कि पूरे शहर (ULB) को वेंडिग हेतु तीन मुख्य बिन्दुओं में बांटा गया है:–

1. No Vending Zone:- ऐसा Zone जहाँ पर फुटकर विक्रेताओं द्वारा किसी भी प्रकार का विक्रय का कार्य नहीं किया जा सकता है। जैसे की कोई भी सरकारी भवन, सेक्रेटेरियट, डिस्ट्रीक्ट कोर्ट, जिला समाहरणालय, नगर पालिका आदि भवनों के Entry एवं Exit से कम से कम 50 मीटर की दूरी तक कोई भी विक्रय का कार्य नहीं किया जा सकता है।
2. Restricted Vending Zone:- प्रतिबंधित वेंडिंग जोन मुख्य रूप से सडक की चौड़ाई से जुडे हुए है। जैसे कि दो तरफ इलाका यातायात वाली 3.5 मीटर के बराबर चौडाई वाली सडकों पर कोई स्ट्रीट वेंडिग प्रस्तावित नहीं है। 6 मीटर से 9 मीटर की बीच की चौडाई वालें सडकों पर भी कोई स्ट्रीट वेंडिग नही किया जा सकता है। अगर ऐसी सडक को एक तरफ वाहन सडक घोषित किया जाता है, तो स्ट्रीट वेंडिग की अनुमति दी जा सकती है।
3. Restricted Free Vending Zone:- ऐसा वेंडिग जोन जहां पर यातायात प्रभावित न हो एवं उपर्युक्त दोनों बिन्दू जैसे No Vending Zone तथा Restricted Vending Zone की श्रेणी में ना आता हो। वैसे जगहों पर वेंडिग किया जा सकता है। इसी क्रम में नगर मिशन प्रबंधक द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि CSVP तैयार करने हेतु शुरूआत में कुछ चयनित क्षेत्र (वार्ड/जोन) से कर सकते है। सम्पूर्ण City का CSVP एक हीं बार में पूर्ण कर लेने की आवश्यकता नहीं है।

प्रस्ताव सं0–6. नगर मिशन प्रबंधक द्वारा CSVP के अन्तर्गत Restriction Free Vending Zone पर चर्चा करते हुए समिती को यह बताया गया कि, नगर परिषद, औरंगाबाद द्वारा कुल छः स्थलों को Vending हेतु चयनित किया गया है। जिसकी विस्तृत जानकारी समिति को नगर परिषद के अमीन द्वारा दी गई जो निम्न है:–

1. दानी बिगहा बस स्टैण्ड के आगे पश्चिम जमीन मौजा जसोइया थाना नं0–204, खाता नं0– खेसरा नं0–841 रकबा–11 डी0 जमीन औसत लम्बाई पूरब से पश्चिम 80 फिट चौडाइ उत्तर से दक्षिण–60 फीट हैं।
2. गेट स्कूल के पास, जमीन मौजा– औरंगाबाद थाना नं0–560 खाता नं0–192 खंसरा नं0–358 रकबा–3 डी0 जमीन। जिसका पूरब से लम्बाई 120 फीट एवं उतर से दक्षिण चौडा–10 फीट है।
3. ओवर ब्रीज के पास जमीन मौजा शाहपुर थाना नं0–566 खाता नं0–296 खेसरा–01 रकबा–03.5 डी0 जमीन लम्बा पूरब से पश्चिम 80 फिट चौड़ा उत्तर से दक्षिण 20 फिट है।

4. गायत्री मंदिर रोड में वार्ड नं0–04 जमीन मौजा शाहपुर थाना नं0–566 खाता नं0–296 खेसर नं0–3596 रकबा–10 डी0 जमीन जिसका औसत लम्बाई उत्तर से दक्षिण–200 फिट औसत चौडाई पूरब से पश्चिम–10 फीट है।
5. बिजली ऑफिस के पास वार्ड–02 में जमीन मौजा बराटपुर थाना नं0–559 खाता नं0– खेसर नं0–59 रकबा–6.5 डी0 जमीन जिसका औसत लम्बाई–200 फीट पूरब से पश्चिम। औसत चौडाई–15 फीट उत्तर से दक्षिण है।
6. टाउन स्कूल के पास, वार्ड नं0–32 जमीन मौजा शाहपुर थाना नं0–566 खाता नं0– खेसर नं0–2742 रकबा–13 डी0 जमीन। जिसका औसत लम्बाई–200 फीट पूरब से पश्चिम औसत चौडाई–30 फीट उत्तर से दक्षिण है।

मननीय मुख्य पार्षद नगर परिषद, औरंगाबाद के द्वारा फुटकरों के हित की बात कही गई कि हमारे शहर औरंगाबाद में फुटकर विक्रेताओं हेतु वेंडिग Zone का निर्माण किया जाना आवश्यक है। जिससे ना की सिर्फ हमारे शहर में जाम की समस्या दूर होगी बल्की फुटकर विक्रेताओं का जीविकोपार्जन में भी वृद्धि होगी। इसी क्रम में माननीय मुख्य पार्षद द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि भविष्य में विक्रय स्थल का निर्माण किया जाता है तो उसमें नियमानुसार सर्वेक्षित फुटकर वेंडरो को प्राथमिकता दी जाएगी उपर्युक्त City Street Vending Plan (CSVP) के आधार पर चयनित Restriction Free Vending Zone के निर्माण हेतु चयनित छः सभी स्थलों को सर्वसम्मति से समिति द्वारा पारित किया गया। तथा उपर्युक्त सभी प्रस्तावों को समिति द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त को गई।

04/06/22

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, औरंगाबाद।
–सह–
अध्यक्ष,टाउन वेंडिग कमिटि
औरंगाबाद।

ज्ञापांक 674 / दिनांक 4/6/2022

प्रतिलिपिः– सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।
प्रतिलिपिः– अग्रणी जिला बैंक प्रबंधक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।
प्रतिलिपिः– सिविल सर्जन को सादर सूचनार्थ।
प्रतिलिपिः– परियोजना पदाधिकारी–सह–अपर निदेशक को सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी को सादर सूचनार्थ समर्पित।

04/06/22

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, औरंगाबाद।
–सह–
अध्यक्ष,टाउन वेंडिग कमिटि
औरंगाबाद

4.6.22 4/6/22 4/6/2022